न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 66 / 2020 अपील / प्रतापगढ़ (GCMD 2020/00070)
पंजीयन दिनांक– 10.11.2020
निर्णय दिनांक– 24.12.2020

श्रीमती शोभा पत्नि श्री नानुराम मीणा, निवासी तिलक नगर, प्रतापगढ़, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री किशन पिता स्व. गौतम मीणा
2. श्री बाबु पिता स्व. गौतम मीणा
3. श्री गंगाराम पिता स्व. गौतम मीणा के कायम मुकामान
   1. श्रमती मोहनी बाई पति स्व. गंगाराम मीणा
   2. श्रीमती कुसुम पति स्व. गंगाराम मीणा
   3. श्री श्यामलाल पिता स्व. गंगाराम मीणा
   4. श्री दिनेश पिता स्व. गंगाराम मीणा
   5. सुश्री ललिता पिता स्व. गंगाराम मीणा
   6. सुश्री संगीता पिता स्व. गंगाराम मीणा
   7. सुश्री लक्ष्मी पिता स्व. गंगाराम मीणा सरपरस्त माता श्रीमती कुसुम मीणा सभी निवासीयान ग्राम बमोतर, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)
4. सचिव, ग्राम पंचायत अमलावद, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)
5. सरपंच, ग्राम पंचायत अमलावद, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)
6. तहसीलदार, प्रतापगढ़, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)
7. कलाबाई पिता स्व. गौतम मीणा, निवासी बमोतर, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)
8. शांतिबाई पिता स्व. गौतम मीणा, निवासी बमोतर, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :

श्री एस.पी. व्यास	: अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री मुकेश गौड	: अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1, 3/1 से 3/6, 7 व 8
राजकीय अभिभाषक	: अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 6

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ के प्रकरण संख्या 08/2019
निर्णय दिनांक 05.12.2019

निर्णय

दिनांक– 24.12.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 08/2019 निर्णय दिनांक 05.12.2019 के विरूद्ध दिनांक 10.11.2020 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता, अग्रिम कार्यवाही रोकने बाबत स्थगन प्रार्थना पत्र मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या–1/अपीलांट श्री किशन पिता स्व. गौतम मीणा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या–1/अपीलांट के पिता गौतम पिता गल्ला निवासी बमोतर की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत अमलावद ने बिना किसी जांच किए रेस्पोडेंट ने गलत तरीके से नामांतरकरण संख्या 333 दिनांक 11.02.1975 को रेस्पोडेंट संख्या–1/अपीलांट के नाम नहीं खोल केवल रेस्पोडेंट के नाम पर ही नामांतरकरण खोल दिया जबकि रेस्पोडेंट संख्या–1/अपीलांट भी गौतम का जायंदा ओलाद है। अतः नामांतरकरण निरस्त किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या–1/अपीलांट का भी नियमानुसार खाते में दर्ज करावें। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 08/2019 दर्ज कर निर्णय दिनांक से ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 333 दिनांक 11.02.1975 को निरस्त किया जाकर गौतम पिता गल्ला मीणा के वारीसान को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत नियमानुसार पुनः

तस्दीक करने के दिये गये आदेश से व्यथित पक्षकार होने के कारण अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.12.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः—*"अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को सम्मन जारी किये गये रेस्पोडेंट बावजूद तामील के तारीख पेशी पर हाजिर नहीं हुए इसके बावजूद भी काफी समय दिया गया रेस्पोडेंट हाजिर नहीं होने पर एक तरफा कार्यवाही करते हुए बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस में अपीलांट का आधार कार्ड, राशन कार्ड व अपीलांट किशन की वर्ष 1985–86 की* ix *की मार्कशिट की छायाप्रति पेश की जिसमें अपीलांट के पिता गौतम का नाम अंकित पाया गया इसके अलावा ग्राम पंचायत अमलावद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 18.11.2019 से गौतम पिता गल्ला का सजरा प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें बाबुलाल, गंगाराम, किशन, शांताबाई व कलाबाई का नाम अंकित पाया गया।*

अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 333 दिनांक 11.02.1975 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि गौतम पिता गल्ला मीणा के वारीसान को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत नियमानुसार पुनः तस्दीक करें।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. व्यास उपस्थित व रेस्पोडेन्ट्स संख्या–1, 3/1 से 3/6, 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश गौड उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या–6 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2, 3/7, 4 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 18.12.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व नियमों के विपरीत होकर अपास्त किये

जाने के योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपील के सम्मन की तलबी विधि अनुसार नहीं हुई है। दिनांक 03.12.2019 को आदेशिका में यह दर्शाया गया है कि अपीलांट हाजिर मय वकील हाजिर। रेस्पोडेंट हारिज नहीं है एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए पत्रावली दिनांक 05.12.2019 को बहस हेतु लगायी गई। जबकि रेस्पोडेंट क्रमांक 1 बाबू की तलबी दिनांक 08.08.2019 के लिए हुई है जबकि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिनांक 08.08.2019 को तथा दिनांक 25.10.2019 एवं दिनांक 07.11.2019 को अन्य कार्य में व्यस्त होना दिखाया गया है तथा दिनांक 19.11.2019 को आदेशिका में यह दर्शाया है कि पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट हाजिर रेस्पोडेंट की तामील हो चुकी है कोई हाजिर नहीं है अंतिम अवसर दिया जाकर देखने जवाब अथवा वकील पत्र हेतु दिनांक 27.11.2019 को नियत की गयी है। दिनांक 27.11.2019 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होना लिखा गया है तथा तारीख 03.12.2019 की नियत की गयी है। दिनांक 03.12.2019 को एक पक्षीय का आदेश हुआ है तथा दिनांक 05.12.2019 की पेशी बहस हेतु रखी गयी। एक पक्षीय बहस सुनकर निर्णय दिनांक 05.12.2019 को पारित किया गया है जबकि रेस्पोडेंट्स को कानूनन दौबारा सम्मन जारी होना चाहिए थे। जबकि रेस्पोडेंट क्रमांक 2 गंगाराम की तामीले उसके पुत्र श्यामलाल को हुई है यानी सभी पर तामील होना माना गया है, जो कि विधिक भूल है क्योंकि दिनांक 08.08.2019 की आदेशिका के बाद उनकी उपस्थिति हेतु कोई आदेशिका में हवाला नहीं है तो तामील कैसे मानी गयी है यह एक प्रश्न चिन्ह है जिसको देखा जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। यह कि वर्तमान अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि खाता संख्या 236 में आराजी खसरा नम्बर 496 मीन में से 0.16 हैक्टेयर भूमि को अपीलांटन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2018 को विक्रेतागण से क्रय कर विक्रयपत्र का विधिवत पंजीयन कराया गया है तथा यह अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में अपीलांट श्रीमती शोभा मीणा के पक्ष में किया गया है तथा जिस पर अपीलांट का कब्जा क्रय दिनांक से आज तक है। अपील में गौतम मीणा की पुत्रियां श्रीमती कलाबाई व श्रीमती शांताबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार है इस कारण मिस जॉईण्ड ऑफ पार्टी के अनुसार अपील खारिज की जानी चाहिए थी। दौराने अपील रेस्पोडेंट क्रमांक 2 श्री गंगराम मीणा की मृत्यु दिनांक 26.10.2019 को हुई है

जबकि अपीलांट किशन मीणा को जानकारी होते हुए भी रेस्पोडेंट क्रमांक 2 के वारीसान को अपील में पक्षकार बनाये जाने बाबत आवेदन भी पेश नहीं किया है ओर न्यायालय ने मृतक व्यक्ति गंगाराम के विरूद्ध भी निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है तथा दिनांक 05.12.2019 से रेस्पोडेंट क्रमांक 2 के वारीसान भी प्रभावी नहीं होते हुए जो अपील में आवश्यक पक्षकार है, जिनको अपील में पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। अपीलांट व वकील अपीलांट ने अपीलांट के मतलब की नकलें पेश की है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड की क्या स्थिति है, को छिपाया गया है यदि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होता तो निर्णय दिनांक 05.12.2019 को होना संभव नहीं था। जबकि आराजी नम्बर 496 का रकबा 2.22 हैक्टेयर रहा है जिसमें से रेस्पोडेंट क्रमांक 1 व 2 ने 0.55 हैक्टेयर भूमि का दान पत्र दिनांक 23.12.2011 को अपीलांट किशन के पक्ष में कराया गया है इसका अमल दरामद अपीलांट किशन के पक्ष में दर्ज है। इससे अपीलांट किशन मीणा को उसके हिस्से की आराजीयात पूर्ण रूपेण प्राप्त हो गयी है इस कारण 1/3 भाग प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं होता है इस तथ्य को भी न्यायालय से छिपाकर निर्णय प्राप्त किया गया, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपील में ग्राम पंचायत अमलावद ने दिनांक 18.11.2019 को वारीसान प्रमाण पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जिसकी सत्य प्रति अपीलांट शोभा मीणा ने पत्रावली से प्राप्त की है इस कारण यह साबित होता है कि वारीस प्रमाण पत्र से मृतक गौतम मीणा का सजरा खानदान उनकी जानकारी में रहा है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अंश मात्र ध्यान नहीं दिया है ओर अपना निर्णय पारित करने में भारी भूल की वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आराजी खसरा नम्बरान भूमियां निम्नानुसार हैः— 496/1005 लोक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़ के नाम आराजी नम्बर दर्ज है आराजी नम्बर 496/1225 रकबा 0.1725 हैक्टेयर गगन पति गूड़ीया मीणा, आराजी नम्बर 496/1226 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 496/1227 रकबा 0.19 हैक्टेयर श्री गंगाराम पिता रामा मीणा के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत 2074 से 2077 जिसमें नया खाता नम्बर 496 व पूराना खता नम्बर 236 में आराजी नम्बर 496 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि अपीलांट श्रीमती शोभा पति नानुराम मीणा के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में आराजी नम्बर 496/1225 रकबा 0.21 हैक्टेयर

में से 0.17 हैक्टेयर आवासीय श्री भाटीया कॉर्पोरेशन प्रा. लि. कोटा के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक आराजी नम्बर 496/1226 रकबा 0.5550 हैक्टेयर किशन पिता गोतम मीणा को श्री बाबू मीणा व श्री गंगाराम मीणा ने दानपत्र से दी है जो रेकार्ड में दर्ज है जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपील के निर्णय दिनांक 05.12.2019 से पुर्व उसका 1/5 हिस्सा करीब–करीब प्राप्त हो गया था मगर इस तथ्य को जानबूज कर छिपाया गया था। जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में आराजी नम्बर 496/1264 रकबा 0.17 हैक्टेयर में से 0.07 आबदी में तथा 0.17 हैक्टेयर भूमि व्यवसायिक श्री प्रभूलाल पिता इन्दरमल पालीवाल के नाम दर्ज है। संवत 2074 से 2077 में आराजी नम्बर 496/1227 रकबा 0.19 हैक्टेयर में से 0.18 हैक्टेयर आबादी में तथा 0.01 हैक्टेयर काली प्रथम श्री गंगाराम पिता राया मीणा के नाम दर्ज है। संवत 2074 से 2077 में आराजी नम्बर 496/1226 रकबा 0.02 हैक्टेयर गूड़ीया पुत्री मांगीलाल मीणा के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में आराजी नम्बर 496/1244 रकाब 0.04 हैक्टेयर सडक, आराजी नम्बर 496/1246 रकाब 0.02 हैक्टेयर काली प्रथम तथा 496/1251 रकबा 0.04 बंजर राजस्थान सरकार दर्ज लैण्ड रेकार्ड है। निर्णय दिनांक 05.12.2019 की पालना हेतु तहसीलदार, प्रतापगढ़ को रेस्पोडेंट क्रमांक 1 किशन मीणा ने नामांतरण खोलने की प्रार्थना की है जिसमें पटवारी हल्का अमलावद से रिपोर्ट मांगी जाने पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि उपरोक्त जमीन पर बताये अनुसार लोगों को भिन्न भिन्न दिनांक को विक्रय खातेदार के नाम पर अमल दरामद हो चूकी है और यह पत्रावली विचाराधीन है। किशन पिता गौतम मीणा की वर्तमान में आयु 46 वर्ष है उसको बालीग होते ही अपील प्रस्तुत करनी थी, जबकि उसको उसके हिस्से की अराजी श्री बाबू व गंगाराम ने उसके पक्ष में कर दिया था और रेकार्ड में खाता दर्ज है। उसको 1/5 हिस्सा अपील से पूर्व प्राप्त हो गया था इस कारण उसको अपील पेश करने का कोई हक नहीं था। किशन मीणा की अपील मियाद कानून से भी अंदर मयाद नहीं थी। क्योंकि मियाद में कैस है यह तथ्य आदेशिका में नहीं है ना रेस्पोडेंट्स को न्यायालय ने सूना है। अपीलांट बोना फाईड क्रेता है और आराजी पर अपीलांट का कब्जा है ओर निर्णय से अपीलांट व अन्य खातेदार प्रभावित हो रहे है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय ओचित्यपूर्ण है अपीलांट को यदि कोई नामांतरण से व्यथा है तो वह क्रेता के रूप में सिविल न्यायालय से अपने हक अधिकार तय करवाने राजस्व न्यायालय का इसमें कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गुणावगुण पर उचित है। अतएवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2010 (2) & RRT 2010 (2) का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट अस्वीकार करने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या–6 की ओर से राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा किया गया निर्णय सही होकर विधिपूर्वक किया गया तथा गुणावगुण पर निर्णय का अनुरोध किया।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 का आवेदन भी पेश किया जिसमें उसके द्वारा निम्नानुसार दस्तावेज पेश कियेः–

1. जमाबंदी संवत 2074 से 2077 जिसमें नया खाता नम्बर 496 व पूरान खाता नम्बर 236 में आराजी नम्बर 496 क्षेत्रफल 0.16 हैक्टेयर भूमि अपीलांट श्रीमती शोभा पति नानुराम मीणा के नाम दर्ज है।
2. जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में आराजी नम्बर 496/1225 क्षेत्रफल 0.21 हैक्टेयर में से 0.17 हैक्टेयर आवासीय श्री भाटीया कॉर्पोरेशन प्रा. लि. कोटा के नाम दर्ज है।
3. मृत्यु प्रमाण पत्र श्री गंगराम पिता गौतम जी मीणा दिनांक 26.10.2019 को हुई है।
4. जमाबंदी संवत 2074 ये 2077 तक आराजी नम्बर 496/1226 क्षेत्रफल 0.555 हैक्टेयर।
5. जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में आराजी नम्बर 496/1264 क्षेत्रफल 0.17 हैक्टेयर में से 0.07 आबादी में तथा 0.10 हैक्टेयर भूमि व्यवसायिक।
6. जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में आराजी नम्बर 496/1227 क्षेत्रफल 0.19 हैक्टेयर में से 0.18 हैक्टेयर आबादी में तथा 0.01 हैक्टेयर।

7. जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में आराजी नम्बर 496/1226 क्षेत्रफल 0.02 हैक्टेयर।
8. जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में आराजी नम्बर 496/1244 क्षेत्रफल 0.04 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 496/1245 क्षेत्रफल 0.02, आराजी नम्बर 496/1246 क्षेत्रफल 0.02 तथा आराजी नम्बर 496/1251 क्षेत्रफल 0.04 बंजर।
9. निर्णय दिनांक 05.12.2019 की प्रति।

उपरोक्त दस्तावेज राजकीय रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां व सुसंगत दस्तावेज है अतएवं न्यायहित में इस दस्तावेजों को रेकार्ड पर रखने की अनुज्ञा दी जाती है।

प्रकरण में हम अब मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी तथा निर्णय होने की अथवा प्रकरण लम्बित होने की पूर्व जानकारी हो, ऐसा कोई तथ्य रेकर्ड पर नहीं है। अतएवं मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में दफा 96 जाब्ता दीवानी के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा राजस्व रेकर्ड के अनुसार अपीलाण्ट ने आराजी नं0 496 मीन में से 0.16 हैक्टेयर भूमि दिनांक 04.08.2018 को क्रय की है अर्थात् अपीलाण्ट उक्त भूमि का सद्भावी क्रेता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे बिना सुने निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट इस प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार प्रतीत होता है, अतएवं दफा 96 का आवेदन स्वीकार कर अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है।

प्रकरण में अब हम गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट स्वयं द्वारा पेशशुदा राजस्व रेकर्ड से यह सुस्पष्ट है कि विवादित भूमियां गौतम पिता गल्ला मीणा के समय से चली आ रही है तथा गौतम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 333 दिनांक 11.07.1975 को स्वीकृत किया गया है, जिसमें गौतम के दो पुत्रों बाबू व गंगाराम के ही नाम नामान्तकरण में दर्ज किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में पंचायत द्वारा पेशशुदा सजरे के अनुसार गौतम के वारीसान में उसकी पत्नि काशी की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके

पुत्र–पुत्रियों में बाबू व गंगाराम के अतिरिक्त एक अन्य पुत्र किशन व पुत्री शांताबाई व कलाबाई भी होना पंचायत द्वारा व्यक्त किया गया है एवं अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में विचाराधीन अपील में पेशशुदा दस्तावेज अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में तहसीलदार के यहां पटवारी द्वारा पेशशुदा रिपोर्ट के अनुसार वारीसान की यही स्थिति है अर्थात् गौतम की विरासत में स्पष्टतः एक पुत्र किशन व दो पुत्रियों कलाबाई व शांताबाई को वंचित रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय में गौतम के पुत्र किशन द्वारा इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी थी कि गौतम की विरासत में उसे वंचित रखा गया है एवं इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.12.2019 से प्रकरण में मूल नामान्तकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को प्रेतिप्रेषित कर गौतम के वारीसान को ध्यान में रखते हुए विधि अनुसार पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का निर्णय पारित किया है। वर्तमान अपील में अपीलाण्ट द्वारा निम्नानुसार उज्र लिये गये हैं, जिन पर हम उज्रवार विवेचन करना उचित समझते हैं।

अपीलाण्ट का प्रथम उज्र यह है कि रेस्पोंडेण्ट की विधिवत् तामील नहीं हुई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार बाबू की तामील व्यक्तिशः एवं गंगाराम की तामील उसके पुत्र श्यामलाल को हुई है, तद्नुसार उक्त तामीलों को विधिक नहीं माने जाने का कोई आधार नहीं है। यदि नियत तिथि को पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं थे तो पक्षकार के लिए वांछनीय था कि वह उस तिथि या आगामी तिथि की न्यायालय से जानकारी करते।

अपीलाण्ट का द्वितीय उज्र यह है कि उसने आराजी नं0 496 मीन में से 0.16 हैक्टेयर भूमि दिनांक 04.08.2018 को क्रय किया है तथा उसे अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। हम यह उचित मानते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अद्यतन राजस्व रेकर्ड का अवलोकन नहीं किया है परन्तु अपीलाण्ट का कोई भी हित उसके विक्रेता से अधिक नहीं हो सकता तथा विक्रेता को जो भी हक प्राप्त है अथवा नहीं है, उसी आधार पर उसके हक विनिश्चित होंगे। अपीलाण्ट ने विवादित भूमियों का क्रय जिससे किया है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार संस्थित किया गया है तथा रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार के यहां जो सुनवाई हो रही है, उससे संबंधित दस्तावेजात अपीलाण्ट स्वयं द्वारा

प्रस्तुत किये गये हैं। तद्नुसार वह अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के यहां प्रकरण में पक्षकार बनकर अपने हितों का निस्तारण उसके क्रेता को प्राप्त अधिकारों के तहत करवा सकता है। तद्नुसार अपीलाण्ट का यह उज्र भी विधिक नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा अन्य उज्र यह लिया गया है कि दौराने अपील रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 की मृत्यु दिनांक 26.10.2019 को हुई है एवं उसका मृत्यु प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में गंगाराम की मृत्यु दिनांक 26.10.2019 को होने बाबत् उसके द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है परन्तु इस प्रकरण में यह स्पष्ट होता है कि गंगाराम की तामील दिनांक 08.08.2019 के लिए उसके पुत्र श्यामलाल को हो चुकी है एवं तद्नुसार आदेश 22 नियम 10–ए के अनुसार उनके लिए (श्यामलाल के लिए) यह वांछनीय था कि वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर उसके पिता की मृत्यु की जानकारी देता ताकि अपीलाण्ट किशन उनके कायम मुकाम संस्थित कर पाता। इस प्रकरण में हम विधि अनुसार प्रकरण अबेट योग्य नहीं पाते क्योंकि मृतक गंगाराम के वारीसान द्वारा भी बावजूद तामील अपने विधिक उत्तरदायित्व का निवर्हन नहीं किया है। अतः अपीलाण्ट का यह उज्र भी विधिक नहीं है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि अपीलाण्ट किशन मीणा ने अपनी बहिन कला व शांतीबाई को पक्षकार संस्थित नहीं किया। आवश्यक पक्षकारों को किसी भी समय पक्षकार जोड़ा जा सकता है तथा इस प्रकरण में मूल नामान्तकरण भी कलाबाई व शांतिबाई को पक्षकार संस्थित नहीं किया गया है। अतएवं अधीनस्थ न्यायालय में कलाबाई व शांतिबाई भी पक्षकार बन सकती है एवं अपने हकों का निस्तारण रिमाण्डशुदा तहसीलदार के यहां लम्बित प्रकरण में तय करवा सकती है। अतः अपीलाण्ट का यह उज्र भी समायत योग्य नहीं है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि अपीलाण्ट किशन मीणा ने राजस्व रेकर्ड की स्थिति को छिपाया है क्योंकि आराजी नं0 496 मीन में से रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 ने 0.55 हैक्टेयर भूमि का दानपत्र का पंजीयन अपीलाण्ट के पक्ष में करा दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय में उपहारदाता एवं उपहारगृहिता उक्त दानपत्र का विरासत से संबंधित होना अथवा नहीं होने बाबत् साक्ष्य, सबूतों के आधार पर विनिश्चयन

करवा सकते है। यहां पर मूल विवाद मृतक गौतम की विरासत में अपीलाण्ट पुत्र किशन को वंचित करने से संबंधित है एवं यह स्पष्ट होता है कि पंचायत व राजस्व कर्मियों की रिपोर्ट अनुसार गौतम का पुत्र किशन भी है एवं वह गौतम की विरासत से वंचित रहा है। तद्नुसार विरासत व दानपत्र के सहसंबध बाबत् तहसीलदार के यहां साक्ष्य, सबूतों के आधार पर प्रकरण का विनिश्चयन किया जा सकता है। अपील में इन बिन्दुओं पर कि अपीलाण्ट किशन को जो भूमियां दान में प्राप्त हुई है, वे उसके विरासत से वंचित होने के कारण प्राप्त हुई है अथवा नहीं, यह तय नहीं किया जा सकता। तद्नुसार अपीलाण्ट का यह उज्र भी समायत योग्य नहीं है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि अपीलाण्ट को प्रकरण की प्रारम्भ से जानकारी थी एवं अधीनस्थ न्यायालय में मियाद पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रमुखतया विधिविरूद्ध आदेशों के प्रकरण में मियाद का कोई बिन्दु लागू नहीं हो। तद्नुसार अपीलाण्ट किशन को उसकी विरासत से वंचित किया जाना तथ्यों से पूर्णतः स्पष्ट है। अतएवं इस प्रकरण में मियाद के बिन्दु का कोई सारभूत महत्व नहीं है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि राजस्व रेकर्ड में प्रकरण में भूमियों का विक्रय अपीलाण्ट शोभा मीणा, लोक निर्माण विभाग व अन्य पक्षकार को अपील के क्रम संख्या 8 के अनुसार किया गया है। इस प्रकरण में यह भी बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेशों के सन्दर्भ में तहसीलदार के विचारण योग्य है कि मृतक गौतम की विरासत अर्थात् किसी पक्षकार को विधिक रूप से कितना हक मिला था एवं तद्नुसार किये गये विक्रय की क्या विधिकता है, यह अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के यहां प्रतिप्रेषण आदेशों के संबंध में पूर्णतः विनिश्चित किया जा सकता है एवं यह आधार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अविधिक ठहराने के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट के समस्त उज्रों पर विचार करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हालांकि अधीनस्थ न्यायालय ने अद्यतन राजस्व रेकर्ड पर विचार नहीं किया है परन्तु मौलिक प्रश्न यह है कि मृतक गोतम की विरासत में किशन अपीलाण्ट व अन्य दो बहनों को भी वंचित किया गया है एवं इस क्रम में

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान की जांच हेतु विवादित नामान्तकरण को तहसीलदार को पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित करने के आदेशों में कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

हम अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रतिप्रेषण आदेशों के निर्णय में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते। अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है परन्तु हम यह उचित समझते हैं कि उक्त अधीनस्थ न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में तहसीलदार को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में अद्यतन राजस्व रेकर्ड के अनुसार विद्यमान सभी पक्षकारों एवं अपीलाण्ट की बहिनों कला एवं शांतिबाई तथा अन्य सभी पक्षकारों को सुनकर प्रकरण में राजस्व रेकर्ड एवं अन्य सुसंगत तथ्यों की जांच कर आख्यापक निर्णय पारित करें। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार प्रतापगढ़ को भी पृथक से पालनार्थ भिजवायी जावें कि वें नामान्तकरण संख्या 333 के सन्दर्भ में उनके यहां दर्ज प्रकरण संख्या 1/2020 में उपरोक्त निर्देशों की पालना करते हुए अपना आख्यापक एवं विधिक निर्णय पारित करें।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर